रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 418] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 16, 1979/आश्विन 24, 1901
No. 418] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 1979/ASVINA 24, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

### आदेश

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1979

का०आ० 583 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 में—

(1) खण्ड 2 के उपखंड (ख) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"तथा जो क्रीम लेड या बोव कागज के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनिर्देशों के अनुरूप हो और उसका भार प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम हो, किन्तु उसकी सहायता वह होगी, जो भारतीय मानक संस्थान के सुसंगत विनिर्देशों के अनुसार अंकित ग्राम भार पर अनुज्ञात की जाए।"

(2) खण्ड 3 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनिर्माता की प्रतिष्ठापित क्षमता, कागज की कुछ विशिष्ट किस्मों के विनिर्माण के लिए ही है, यह निदेश दे सकेगी कि किसी मास या तिमाही के लिए खण्ड (क) या (ख) के अधीन ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्माण किए जाने के लिए अपेक्षित कागज की एक या अधिक किस्मों की मात्रा, ऐसे मास या तिमाही के दौरान उसके द्वारा उत्पादित कागज की ऐसी विशिष्ट किस्मों के विस्तार तक घटा दी जाएगी।"

(3) खण्ड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतों में भिन्नता :—

जहां लिखाई और छपाई के कागज के विनिर्माण के लिए विनिर्माता की प्रतिष्ठापित क्षमता खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतों के अनुसार कागज के विनिर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वह निम्नलिखित का विनिर्माण करेगी :—

(क) (क) उक्त खण्ड के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा तक या यथास्थिति, उस मास या तिमाही के लिए लिखाई और छपाई के कागज के विनिर्माण

के लिए उपयोग के योग्य प्रतिष्ठापित क्षमता की अधिकतम सीमा तक, इनमें से जो भी कम है, छपाई का सफेद कागज;

(ख) उक्त खण्ड की मद (ख) में विनिर्दिष्ट सीमा तक या यथास्थिति, उस मास या तिमाही के लिए ऊपर उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट छपाई के सफेद कागज के विनिर्माण के पश्चात्, लिखाई और छपाई के कागज के विनिर्माण के लिए उपयोग के योग्य प्रतिष्ठापित क्षमता की शेष सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, क्रीमलेड या बोंड कागज; और

(ग) रंगीन छपाई कागज, डुप्लीकेटिंग कागज, आफसेट या लीथो कागज या टाइप का कागज, ऊपर उपखण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट कागज के परिमाण के विनिर्माण के बाद बचे उस परिमाण के अतिशेष की सीमा तक विनिर्मित करेगा जो, यथास्थिति, उस मास या तिमाही के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित कागज और कागज के बोर्ड के कुल परिमाण के 63 प्रतिशत तक, या लिखाई और छपाई कागज के विनिर्माण के लिए उपयोग के योग्य प्रतिष्ठापित क्षमता की शेष सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, को पूरा करने के लिए अपेक्षित हो ।"

(3) खण्ड 7 में, "और फुटकर विक्रय कीमत" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(4) खण्ड 9 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. छूट देने की शक्ति (1) केन्द्रीय सरकार, कागज या कागज के गत्ते या दोनों का विनिर्माण करने वाले उपक्रम के संबंध में, उन कठिन वित्तीय स्थिति को, जिनका विनिर्माता ने सामना किया है, ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्माता को खण्ड (3) के उपखण्ड (क) की किन्हीं अपेक्षाओं से पूर्णतया या भागतः छूट दे सकेगी ।

(2) उस वित्तीय स्थिति का अवधारण करने में, जिसका विनिर्माता ने सामना किया है, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा :—

(क) उपक्रम के संबंध में ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के उसके लेखापरीक्षित लेखे ;

(ख) सभी आरक्षितियों को हिसाब में ले लिए जाने के पश्चात्, उपक्रम की संचित हानि :

परन्तु नियत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन में से सर्जित पूंजी आरक्षितियां, इस उपखण्ड के प्रयोजनार्थ, ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सीमा तक, हिसाब में नहीं ली जाएंगी;

(ग) यदि विनिर्माता कोई कम्पनी है तो, क्या ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोई लाभांश घोषित किया गया है;

(3) उपखण्ड (1) के अधीन अनुदत्त छूट, एक वर्ष से अनधिक, ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त होगी, जो उपखण्ड (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) यदि किसी विनिर्माता को उपखण्ड (1) के अधीन छूट अनुदत्त की गई है, तो केन्द्रीय सरकार विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह कागज [जो खण्ड (3) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट छपाई का सफेद कागज नहीं है] या कागज के गत्तों या दोनों की ऐसी मात्रा, जो किसी वर्ष में कुल मिलाकर उस वर्ष में विनिर्माता द्वारा कागज या कागज के गत्ते के कुल उत्पादन के तीस प्रतिशत से, जैसे वह समय-समय पर अवधारित करें, अधिक नहीं है, उन्हीं निबंधनों पर जो विनिर्माता के अत्यन्त अनुग्रहपात्र वितरक को लागू होते हैं, सरकार या सरकार के किसी कार्यालय या विभाग या अथवा किसी लोक उपक्रम को विक्रय करे ।"

(5) खण्ड 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. इस आदेश के कुछ उपबंधों का कुछ विनिर्माताओं को लागू न होना :—

खण्ड 3, 4 और 5 की कोई भी बात निम्नलिखित वर्गों के विनिर्माताओं को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे विनिर्माता, जिनकी कागज या कागज के गत्ते के विनिर्माण की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है;

(ख) ऐसे विनिर्माता, जो खोई, पटसन-बुन्त, अनाज तृण, रद्दी कागज, मैसूटा, या हाथी-घास जैसे अपरम्परागत कच्चे पदार्थों का, उनके द्वारा विनिर्मित लिखाई और छपाई के कागज में भार के अनुसार गुदे का प्रयोग कम से कम पचहत्तर प्रतिशत तक करते हैं;

(ग) ऐसे विनिर्माता, जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के लिए, 1 जनवरी, 1976 को या उसके पश्चात् चालू की गई है ।

[फा० सं० 14(17)/75-कागज]
बी० आर० आर० अय्यंगर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

**S.O. 583(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in an Official Gazette.

2. In the Paper (Regulation of Production) Order, 1978—

(1) In Clause 2, in sub-clause (b) the following shall be added at the end, namely :—

"and conforming to the specifications for cream laid or wove paper notified by the Indian Standards Institution from time to time and weighing 61 grams per square metre, subject however to the tolerance permitted on nominal grammage as per relevant Indian Standards Institution Specifications."

(2) in clause 3, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that the Central Government may, having regard to the fact that the installed capacity of a manufacturer is for the manufacture of certain specialised varieties of paper, direct that the quantity of one or more of the varieties of paper required to be manufactured by such manufacturer under clause (a) of (b) for any month or quarter shall be reduced to the extent of such specialised varieties of paper produced by him during such month or quarter."

(3) for clause 4, the following clause shall be substituted, namely :—

"4. Variation of percentages specified in Clause 3— Where the installed capacity of a manufacturer for the manufacture of writing and printing paper is not sufficient to manufacture paper according to the percentages specified in clause 3, he shall manufacture—

(a) White Printing Paper to the extent specified in sub-clause (a) of the said clause, or to the maximum extent of the installed capacity capable of utilisation for the manufacture of writing and printing paper for the month or quarter, as the case may be, whichever is lower;

(b) cream laid or wove paper to the extent specified in item (b) of the said clause, or to the balance extent of the installed capacity capable of utilisation for the manufacture of writing and printing paper after the manufacture of white printing paper referred to in sub-clause (a) above, for the month or quarter, as the case may be, whichever is lower; and

(c) coloured printing paper, duplicating paper, offset or litho paper or typing paper upto the extent of the balance of such quantity left after the manufatcure if the quantities of paper referred to in sub-clause (a) and (b) above as may be required to cover upto 63 per cent of the total quantity of paper and boards manufactured by him, or to the balance extent of the installed capacity capable of utilisatlon for the manufacture of writing and printing paper, during the month or the quarter, as the case may be, whichever is lower."

3. In clause 7, the words "and retail price" shall be omitted;

4. for clause 9 of the following clause shall be substituted namely :—

"9. Power to exempt.—(1) The Central Government may having regard to critical financial situation faced by any manufacturer, in relation to the undertaking manufacturing paper or paper boards or both by order, exempt such manufacturer from the whole or any part of the requirements of sub-clause (a) of clause (3).

(2) In determining, the financial situation faced by the manufacturer regard shall be had to the following :—

(a) the audited accounts in relation to the undertaking for the lmmediately preceding three years;

(b) accummulated loss of the undertaking even after taking into account all reserves :

Provided that capital reserves created out of revaluation of fixed assets will not be taken into account, to the extent of such revaluation, for the purpose of this sub-clause;

(c) whether, where the manufacturer is a company, any dividend has been declared in the immediately preceding three years;

3. The exemption granted under sub-clause (1) shall be in force for such period, not exceeding one year, as may be specified in the order under sub-clause (1).

4. Where an exemption has been granted to a manufacturer under sub-clause (1), the Central Government may direct the manufacturer to sell to Govt. or any office of department of Government or any public undertaking such quantities of paper (not being white printing paper referred to in sub-clause (a) of clause (3) or paper board or both, not exceeding in the aggregate in any year thirty per cent of the total production of paper and paper board by the manufacturer in that year, as it may determine from time to time, on the same terms as are applicable to the most favoured distributor of the manufacturer."

5. for clause 10, the following shall be substituted, namely—

"10 certain provisions of order not to apply to certain manufacturers :—

Nothing in clause 3, 4 and 5 shall apply to the following classes of manufacturers, namely :—

(a) manufacturers whose installed capacity for the manufacture of paper and paper board is less than 10,000 tonnes per annum;

(b) manufactures who utilise unconventional raw materials, like bagasse, jute stalks, cereal straw, waste paper, mesta or elephant grass, to the extent of not less than seventy five per cent by weight for pulp in the writing and printing papers manufactured by them;

(c) manufacturers whose installed capacity has been commissioned on or after first January 1976 for a period of five years from the date of commencement of commercial production.

[F. No. 14(17)/75-Paper]

B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979